न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 13/2021

बउनवान

मोनिका पुत्री बजरंगलाल पत्नि गजानंद, जाति माली निवासी फतेहपुर, हाल वार्ड नंबर 10 नारेडा तहसील व जिला बारां (राज.)

(अपीलांटा)

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र बजरंगलाल, जाति माली, निवासी फतेहपुर
2. कन्हैयालाल पुत्र बजरंगलाल, जाति माली, निवासी फतेहपुर
3. तस्वीरबाई पुत्री बजरंगलाल, जाति माली, निवासी फतेहपुर
4. प्रेमबाई पत्नि स्व. बजरंगलाल, जाति माली, निवासी फतेहपुर
5. मूर्तिबाई पुत्री बजरंगलाल, जाति माली, निवासी फतेहपुर
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां, जिला बारां (राज0)

(रेंस्पोडेंट्स)

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज0)

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1204 दिनांक 30.01.2008 केम्प फतेहपुर अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :– 1. श्री ओम भारद्वाज एडवोकेट (अपीलांट)

2. श्री सिमरनजीत सिंह एडवोकेट (रेस्पो. 1,3 ता 5)

निर्णय दिनांक 27.12.2022

अपीलांटा की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम फतेहपुर की आराजी खाता संख्या नया 649 पुराना 622 के कुल किता 4 कुल रकबा 1.72 है. तथा खाता संख्या नया 154 पुराना 152 की कुल 19 किता कुल रकबा 4.92 है. आराजी पर दिनांक 30.01.2008 को केम्प फतेहपुर में अपीलांटा के पिता बजरंगलाल का फोती इंतकाल संख्या 1204 खोला गया था जिसमें उक्त दोनो खातो की आराजियात मे मृतक बजरंगलाल के स्थान पर अपीलांटा व रेस्पोडेंट्स क्रम 1 ता 5 का नामान्तकरण तस्दीक किया गया जिसमें अपीलांटा का नाम मोनिका के स्थान पर मोहनीबाई दर्ज किया गया तथा राजस्व रेकार्ड में दोनो खातो में अपीलांटा का नाम पृथक पृथक दर्ज किया गया। अपीलांटा के समस्त दस्तावेज में नाम मोनिका सुमन अंकित है, परन्तु ग्राम फतेहपुर मे लगे शिविर मे राजस्व कर्मचारीयों द्वारा प्रकरणों की संख्या बढाने के लिये उपरोक्त इंतकाल खोला गया जिसमें अपीलांटा का नाम मोनिका के स्थान पर मोहनीबाई दर्ज कर दिया तथा जब इसका अमल राजस्व रेकार्ड की जमाबंदियों में हुआ तब खाता संख्या नया 649 में अपीलांटा का नाम मोहरबाई तथा खाता संख्या नया 154 में अपीलांटा का नाम मोहनीबाई दर्ज किया गया तथा उक्त इंतकाल में जो सजरा अंकित है उसमें अपीलांटा का नाम मोह[illegible] दर्ज किया है जो गलत रूप से तस्दीक किये जाने के कारण विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांटा की अपील स्वीकार किया जाकर नामान्तकरण संख्या 1204 दिनांक 30.01.2008 केम्प फतेहपुर को निरस्त किया जाकर मृतक बजरंगलाल के वारिसान की जांच की जाकर पुनः इंतकाल का किया जावे एवं उपरोक्त खातो में अपीलांटा का नाम दुरूस्त कर मोहनीबाई व मोहरबाई के स्थान पर मोनिका पुत्री बजरंगलाल दर्ज करने के आदेश फरमावें।

जिला कलक्टर बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.01.03 17:04:29 IST
Reason: SelfAttested

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पो. क्रम 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा। रेस्पो. क्रम 1, 3 ता 5 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांटा ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम फतेहपुर की आराजी खाता संख्या नया 649, 154 दिनांक 30.01.2008 को केम्प फतेहपुर में खुले नामान्तकरण संख्या 1204 में अपीलांटा के पिता बजरंगलाल का फोती इंतकाल खोला गया था जिसमें अपीलांटा का नाम मोनिका के स्थान पर मोहनीबाई दर्ज किया गया। अपीलांटा के समस्त दस्तावेज में नाम मोनिका सुमन अंकित है। अतः अपीलांटा की अपील स्वीकार किया जाकर नामान्तकरण संख्या 1204 दिनांक 30.01.2008 केम्प फतेहपुर को निरस्त किया जाकर मृतक बजरंगलाल के वारिसान की जांच की जाकर पुनः इंतकाल दर्ज किया जाकर एवं खातो में अपीलांट का नाम दुरूस्त कर मोनिका पुत्री बजरंगलाल दर्ज करने के आदेश फरमावें।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क्रम 1, 3 ता 5 द्वारा वकील अपीलांटा के कथन पर कोई आपत्ति नही की।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के कथन पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। नामान्तकरण संख्या 1204 में बजरंगलाल के फौत होने पर नामान्तकरण पर अंकित सजरा में उसकी पुत्री का नाम मोहनीबाई अंकित किया गया तथा उसी नाम से नामान्तकरण दर्ज किया गया। पत्रावली में पेश आधार कार्ड के अनुसार अपीलांटा का नाम मोनिका सुमन अंकित है। पैन कार्ड में भी अपीलांटा का नाम मोनिका सुमन अंकित है। अतः नामान्तकरण संख्या 1204 में मोनिका सुमन का नाम गलत रूप से मोहनीबाई अंकित करना साबित होता है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांटा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने से स्वीकार की जाकर केम्प फतेहपुर का नामान्तकरण संख्या 1204 दिनांक 30.01.2008 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार बारां को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मोहनीबाई के स्थान पर मोनिका सुमन के नाम से नामान्तकरण दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर न्यायालय बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.01.03 17:04:29 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)